

फर्द अहकाम

[नियम 26]

त उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा

मुकाम मालाखेड़ा

बनाम

दिनांक

नं०

सन्

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>1-4-25 वकूलाय उप०। वकील प्रतिवादी ने प्रा.ख 0228/25 के पत्र (दिनांक) मूल वकील की ही गिरी। वास्तव में वकूल प्र.ख हि. 22/4/25 को पेश हो।</p> <p>22/04/25 पत्रावली पेश हुई। पीठाधीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। अदालत दिनांक 30/04/25 को पेश हो। 30/04/25 रीडर</p> <p>30/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप०। वार का कार्य स्थगन है। पीठाधीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 29/5/25 को पेश हो। रीडर</p> <p>9/5/25 पत्रावली पेश हुई। उपप पत्र उप०। वकील वकील ने प्रा.ख पेश कर निवेदन किया कि के प्रकरण को आगे नहीं चलाते हुए वकील स्तर पर Not Press में छोड़ने का कानून किया। वकील के हस्ताक्षर खरबारे जाये। वकील की पहचान ही फरकवहीन छं एड. ने की। अर्थ: वार वकील वकील के Not Press करने पर छोड़ने किया जाता है। पत्रावली फेरलत होकर वकील से अब ही कोर्ट जाया लेख भंडार हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)</p> <p>Not Press (जिन कड़ी के)</p> <p>उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)</p>